

(मध्य प्रदेश राज्य)

अन्य सभी योजनायें (PMKSY, पाली हाउस , शेडनेट हाउस के अतिरिक्त) ऑनलाइन अनुदान हेतु सम्पूर्ण डाटा फ्लो डायग्राम |

प्रारंभ

(पंजीयन हेतु प्रक्रिया)

कृषक द्वारा पोर्टल से eKYC बायोमैट्रिक/ OTP के माध्यम से सत्यापन उपरांत पंजीयन

(योजना में आवेदन हेतु प्रक्रिया)

- कृषक द्वारा स्वयं को प्रदाय लॉग इन पैनल से लॉग इन |
- कृषक द्वारा योजना एवं घटक का चयन |
- कृषक द्वारा लाभ के रकबे की प्रविष्टि |
- कैप्चा कोड की प्रविष्टि |
- सुरक्षित करें |

विगत सात वर्षों में “क्या आवेदक ने प्रदाय लिमिट अनुसार आवेदन कर लाभ ले लिया है “

यदि हाँ

संबंधित योजना का लाभ सात वर्षों के पश्चात् ले पायेगा |

यदि नहीं

आवेदन सफलता पूर्वक स्वीकार कर लिया गया है।

(दस्तावेज सत्यापन)

वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा दस्तावेज सत्यापन
(आवेदन दिनांक से 7 दिवस के अन्दर सत्यापन किया जाना
आवश्यक है |)

क्या ऑनलाइन
दस्तावेज सत्यापन के
समय दस्तावेज गलत
, अपूर्ण या अपठनीय
पाए गए ?

हाँ

विकासखण्ड स्तर से वरिष्ठ उद्यानिकी
विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा
दस्तावेज अस्वीकृत किया जायेगा
(कारण सहित)

नहीं

(दस्तावेज अनुमोदन)

उप/ सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा दस्तावेज अनुमोदन
(दस्तावेज अनुमोदन , विकासखण्ड स्तर से दस्तावेज सत्यापन से 7
दिवस के अन्दर किया जाना आवश्यक है)



(कार्य आदेश जारी)

जिला स्तर से अनुमोदन उपरांत सम्बंधित कृषक के पक्ष में कार्य आदेश जारी (उप/सहायक संचालक द्वारा)



(कार्य प्रारंभ)

कार्य आदेश जारी होने के उपरांत कार्य प्रारंभ की सूचना कृषक/ वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (प्रदाय लॉग इन) के माध्यम से दी जाएगी।



(कार्य समाप्त)

कार्य समाप्ति की सूचना कृषक/वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (प्रदाय लॉग इन) के माध्यम से दी जायेगी।



(भौतिक सत्यापन)

1. वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (SHDO) द्वारा कार्य समाप्ति की दिनांक से 15 दिनों के अन्दर भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
2. इन्फ्रामैपिंग से की गई भौतिक सत्यापन की जानकारी MPFSTS पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना एवं फील्ड स्तर पर लगाई गयी सामग्री का फोटो ग्राफ अपलोड किया जाना आवश्यक है।





(देयक जारी)

उप/सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा कृषक को अनुदान भुगतान हेतु ट्रेजरी के पक्ष में देयक जारी किया जाना |



(भुगतान)

कृषक के पक्ष में अनुदान का भुगतान ट्रेजरी स्तर से NEFT/RTGS के माध्यम से किया जाना |



समाप्त